इन्द्रसिंह बनाम अजीतसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज मु.नं. 143/22
	श्री श्री आदित्य प्रताप सिंह नरुका एड. ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल फाइल किया गया। वास्ते आगामी कार्यवाही हेतु पत्रावली दिनांक-06-04-2023 को पेश हो। दिलीप सिंह सहायक कलक्टर (फा...) श्रीमाधोपुर (सीकर)
06.04.23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। वकील वादीगण ने बहस अन्तिम सुने जाने का निवेदन किया। जिस पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दिनांक 10.04.23 को पेश हो। दिलीप सिंह सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)
10.04.23	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में बहस बहुपक्षीय विगत तारीख पेशी पर सुनी जा चुकी है। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत उदघोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार कर वादपत्र डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 10/04/23 दिलीप सिंह सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

733

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.05.10 10:37:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी - श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
143/2022	2022/245	17.10.2022	10.04.2023 (निर्णय)

उनवान प्रकरण

1. इन्द्रसिंह पुत्र रामलाल सिंह मृत्तक के बजाय
   - 1/1 समन्द्र कंवर पत्नी स्व. इन्द्रसिंह आयु 79 वर्ष
   - 1/2 प्रेमसिंह पुत्र स्व. इन्द्रसिंह आयु वर्ष
   - 1/3 प्रतापसिंह पुत्र स्व. इन्द्रसिंह आयु वर्ष
   - 1/4 संतोष कंवर पुत्री स्व. इन्द्रसिंह आयु वर्ष
   - 1/5 मंजू कंवर पुत्री स्व. इन्द्रसिंह आयु वर्ष
   - 1/6 गुलाब कंवर पुत्री स्व. इन्द्रसिंह आयु वर्ष
   - 1/7 सुमन कवंर पुत्री स्व. इन्द्रसिंह आयु वर्ष

   समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम हरदासकाबास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)
2. खीवंसिंह पुत्र भंवरसिंह
3. प्रेम कंवर पत्नी दीपसिंह
4. मदनसिंह पुत्र दीपसिंह

   जाति समस्त राजपूत निवासीगण ग्राम हरदासकाबास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

--वादीगण--

बनाम

1. अजीतसिंह पुत्र मोहनसिंह
2. आसूसिंह पुत्र प्रभूसिंह

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.05.10 10:37:07 IST
Reason: SelfAttested

10/04/23

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

3. कानसिंह पुत्र प्रभूसिंह
4. शंकरसिंह पुत्र प्रभूसिंह
5. कबूल कंवर पत्नी खींवसिंह पुत्र फूलसिंह
6. गोकुलसिंह पुत्र खीवंसिंह पुत्र फूलसिंह
7. विक्रमसिंह पुत्र खीवंसिंह पुत्र फूलसिंह
8. गिरवरसिंह पुत्र खीवंसिंह पुत्र फूलसिंह
9. नरपतसिंह पुत्र खीवंसिंह पुत्र फूलसिंह
10. गोविन्दसिंह पुत्र खीवंसिंह पुत्र फूलसिंह
11. नवल कंवर पुत्री खीवसिंह पुत्र फूलसिंह
12. भंवर कंवर पुत्री फूलसिंह
13. विष्णुसिंह पुत्र लाडकंवर पुत्री फूलसिंह
14. ज्ञानसिंह पुत्र लाडकंवर पुत्री फूलसिंह
15. सुनिता कंवर पुत्री लाडकंवर पुत्री फूलसिंह
    जाति समस्त राजपूत निवासीगण ग्राम हरदासकाबास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
16. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)
17. शाखा प्रबन्धक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा हरदासकाबास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
18. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा हरदासकाबास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

--प्रतिवादीगण--

19. खीवंसिंह पुत्र भंवरसिंह
20. चैनसिंह पुत्र सुप्यार कंवर पुत्री भंवरसिंह
21. प्रेमसिंह पुत्र सुप्यार कंवर पुत्री भंवरसिंह
22. विनोद कंवर पुत्री सुप्यार कंवर पुत्री भंवरसिंह
23. दरियाव कंवर पुत्री भंवरसिंह
24. ओमकंवर पुत्री भंवरसिंह
25. मंगेज कंवर पुत्री भंवरसिंह
26. गोरधनसिंह पुत्र दीपसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.05.10 10:37:07 IST
Reason: SelfAttested

10/04/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

27.नरपतसिंह पुत्र दीपसिंह
28.रणवीरसिंह पुत्र दीपसिंह
29.मनुकवंर पुत्री दीपसिंह
30.मोती कंवर पुत्री दीपसिंह
31.छीतरसिंह पुत्र भंवरसिंह

जाति समस्त राजपूत निवासीगण ग्राम हरदासकाबास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

--तरतीबी प्रतिवादीगण--

उपस्थितः-

श्री आदित्य प्रताप सिंह नरूका एडवोकेट वादीगण अभिभाषक
श्री जितन्द्र कुमार गौड़ प्रतिवादी एडवोकेट नम्बर 2 व 3 अभिभाषक
सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी नम्बर 16 की ओर से

वादपत्र बाबत ईस्तकरार हक, दुरूस्ती रिकार्ड व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

-: निर्णय :-

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादी के इस आशय से प्रस्तुत किया कि पुराने कृषि भूमि खसरा नम्बर 242, 240 जिसके नये खसरा नम्बर 350, 359 कुल किता 2 कुल रकबा 0.47 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम हरदासकाबास पटवार हल्का हरदासकाबास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित हैं। जिसका वर्तमान राजस्व रिकार्ड प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 व प्रतिवादी नम्बर 5 ता 15 के ससुर/ दादा/ नाना व मृतक रामलालसिंह पुत्र बलवन्तसिंह (ना औलाद फौत) के नाम चला आ रहा हैं जो कि गलत है ज[illegible] खसरा नम्बर पर वादीगण एंव तरतीबी प्रतिवादीगण वक्त बुजुर्गान [illegible] चले आ रहे है। वादीगण एंव तरतीबी पक्षकारान एक ही [illegible] वादपत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि पर वादीगण एंव तरतीबी पक्षकार वक्त बुजु[illegible] से अपने पिता/दादा/पड़दादा के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.05.10 10:37:07 IST
Reason: SelfAttested

10/04/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

समय से काबिज काश्त चले आ रहे है व उक्त भूमि में अपने पशु मवेशियान रखते हैं व काश्त करते है। वादीगण के कब्जा काश्त में आयी उक्त भूमि की खातेदारी प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 व प्रतिवादीगण नम्बर 5 ता 15 के दादा/पिता/ससुर/नाना व मत्तक रामलालसिंह के नाम से होने से वादीगण अपनी उक्त भूमियों का भंली भांति रूप से विकास नही कर पा रहे हैं व सरकारी सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं, इसलिए वादीगण अपनी उक्त भूमियों की खातेदारी अपने नाम करवाने के कानूनी अधिकारी हैं। यंहा यह उल्लेखनिय है कि वादीगण एंव तरतीबी प्रतिवादीगण के दादा/पड़दादा/नाना रामलाल सिंह पुत्र भानीसिंह के नाम से संवत 2009 से लगातार गिरदावरी चली आ रही है जिससे भी उक्त भूमि पर वादीगण के हक अधिकार सिद्ध होते है। वादीगण एंव तरतीबी पक्षकार वादपत्र की मद नम्बर 1 पर अपने वक्त बुजुर्गान से तन्हा रूप से बिना किसी बाधा व रोकटोक के प्रतिवादीगण की जानकारी में काश्त कर रहे है। इस कारण उक्त लम्बे कब्जे के आधार पर विपरीत कब्जा के आधार पर भी वादीगण कानूनन उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार हो चुके है ओर उक्त खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने के वादीगण कानूनन अधिकारी है। वादीगण एंव तरतीबी पक्षकार उक्तानुसार वक्त बुजुर्गान अर्थात पिता/दादा के समय से लगातार इस भूमि पर काबिज काश्त होने से उक्त भूमि बाबत खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने के कानूनी अधिकारी है। अर्थात वादीगण एंव तरतीबी पक्षकार अपने उक्त अधिकारो की घोषणा बाबत यह दावा प्रस्तुत कर रहे है, क्योंकि उक्त भूमि पर वादीगण एंव तरतीबी पक्षकार वक्त बुजुर्गान से काबिज काश्त है। अर्थात इस भूमि पर वादीगण को कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है ओर उक्त अधिकारो की घोषणा किया जाना अति आवश्यक एंव न्यायोचित है क्योंकि उक्त खातेदारी अधिकारो की घोषणा के अभाव में वादीगण एंव तरतीबी पक्षकार अपने विधिक अधिकारो से वंचित हो रहे है। जिसके बाबत वादीगण एंव तरतीबी पक्षकार को सख्त हकतल्फी है तथा वादीगण एंव तरतीबी पक्षकार उक्त घोषणा के अभाव में वक्त बुजुर्गान के समय से कब्जा काश्त में चली आ रही कृषि भूमि का समुचित विकास नही कर पा रहे है तथा समय-समय पर भू-धारको को मिलने वाली राजकीय सहायताओ से भी वादीगण वंचित हो रहे है। वादीगण एंव तरतीबी पक्षकार ने प्रतिवादीगण को अपनी उक्त भूमियों की खातेदारी अपने नाम करवाने के लिए बार-बार कहते रहे व वादीगण एंव तरतीबी पक्षकार को प्रतिवादीगण उनकी उक्त भूमियों की खातेदारी वादीगण एंव तरतीबी पक्षकार के नाम करवाने का काफी समय से आश्वासन देते रहे लेकिन दिनांक 05.10.2022 को प्रतिवादीगण ने वादीगण एंव तरतीबी पक्षकार की उक्त भूमियों की खातेदारी वादीगण एंव तरतीबी पक्षकार के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.05.10 10:37:07 IST
Reason: SelfAttested

10/04/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

करवाने से स्पष्ट मना कर दिया व वादीगण के कब्जा काश्त में मजाहमत पैदा करने लग गये है।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण नम्बर 2 व 3 ने ईकबाली जवाब पेश किया। प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 4 ता 18 की तामिल रजिस्ट्री डाक से हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नही आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तरतीबी प्रतिवादीगण नम्बर 19 ता 31 की ओर से श्री आदित्य प्रताप सिंह नरूका एड0 ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। साक्ष्य वादी में वादी इन्द्रसिंह व साक्ष्य वादी गवाहान उम्मेदसिंह पुत्र मांगूसिंह जाति राजपूत निवासी हरदासकाबास व मनोज कुमार पुत्र सुरेश कुमार जाति ब्राहमण निवासी हरदासकाबास के लिखित शुदा मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र पेश किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये व वादी संख्या 1 के फौत हो जाने पर उनका कायम मुकामान प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर वकील प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 की अनापत्ति किये जाने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया तथा वादी संख्या 1 के कायम मुकामान वारिस 1/1 से 1/7 की की ओर से एडवोकेट आदित्य प्रताप सिंह नरूका उपस्थित आये। साक्ष्य वादी बन्द की जाकर प्रकरण को बहस में लिया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा वादी के पक्ष में ईकबाली जवाब देने से व अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्ध पूर्व में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से वकील वादीगण ने आज ही बहस सुनी जाकर वादपत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री पारित किये जाने का निवेदन किया। वादीगण अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वादीगण अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उलबद्ध साक्ष्यो व राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चोसाला जमाबंदी सम्वत् 2074-2077 प्रदर्श-1, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श-2, जमाबन्दी सम्वत् 2027 से 2030 तक प्रदर्श-3, गिरदावरी सम्वत् 2012 से 2015 प्रदर्श-4, गिरदावरी सम्वत् 2012 से 2015 प्रदर्श-5, गिरदावरी सम्वत् 2016 से 2019 प्रदर्श-6, गिरदावरी सम्वत् 2016 से 2019 प्रदर्श-7, गिरदावरी सम्वत् 2028 से 2031 प्रदर्श-8, गिरदावरी सम्वत् 2028 से 2031 प्रदर्श-9 व साक्ष्य वादी में पेश वादी के गवाहान के द्वारा प्रस्तुत शप[illegible] किया गया। जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त वर्णित वाद[illegible] की गिरदावरियो से वादीगण के पिता/दादा/ससूर रामलाल सिंह [illegible] रहा है। जिस बाबत प्रतिवादीगण नम्बर 2 व 3 ने ईकबाली जवाब पेश कर वादीगण के वादपत्र को स्वीकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.05.10 10:37:07 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

किया है। साक्ष्य वादीगण में प्रस्तुत शपथ पत्रों में भी गवाहान ने वादीगण द्वारा वादपत्र में अंकित तथ्यो बाबत अपनी सहमति व्यक्ति की है। प्रतिवादीगण पक्षकारान् के द्वारा वादीगण के पक्ष में ईकबाली जवाब पेश करने व साक्ष्य वादी में पेश शपथ पत्रों व अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों से वादीगण अपने कब्जे काश्त की भूमियो की खातेदारी की घोषणा करवाये जाने का अधिकारी प्रतीत होते है। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

-:क्रियात्मक आदेशः-

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत ईस्तकरार हक, दुरूस्ती रिकार्ड व स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर नवीन खसरा नम्बर 350 रकबा 0.30 हैक्टर, 359 रकबा 0.17 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.47 हैक्टर अवस्थित ग्राम हरदास का बास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान का वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण नम्बर 19 ता 31 को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त 0.47 हैक्टर में से प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 व प्रतिवादीगण नम्बर 5 ता 15 के ससुर/दादा/नाना फूल सिंह पुत्र धनसिंह व मृत्तक रामलाल सिंह पुत्र बलवन्त सिंह का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाता है तथा बैंक रहन प्रदर्श-1 जमाबंदी में वर्णित भूमिं में प्रतिवादी नम्बर 1 व 4 के हिस्से की भूमि पर लागू रहेगा तथा खसरा नम्बर 350 रकबा 0.30 हैक्टर व 359 रकबा 0.17 हैक्टर तन ग्राम हरदासकाबास प्रतिवादी नम्बर 1 व 4 द्वारा प्रतिवादी संख्या 17 व 18 से लिये गये बैंक ऋण से विमुक्त की जाती है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के हक हिस्सा व कब्जे काश्ते में किसी प्रकार की मजाहमत नही करे तथा ना ही दीगर से करावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित व राजस्व अपवंचना की जाँच कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड मे नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.05.10 10:37:07 IST
Reason: SelfAttested

10/04/23

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

10/04/23

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फारेस्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 10.04.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/04/23

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फारेस्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.05.10 10:37:07 IST
Reason: SelfAttested